न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, जनपद–भदोही।

उपस्थितः दुर्गेश – उच्चतर न्यायिक सेवा
(J.O.Code–U.P.–1626)

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या– 109/2025

UPSN010023342025

1. नीरज दूबे पुत्र कामेश्वर प्रसाद दूबे, निवासी ग्राम मिल्की, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही।

...पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. अनिल कुमार बरनवाल पुत्र दया प्रसाद बरनवाल, निवासी ग्राम बाबूसराय, थाना औराई, जनपद भदोही।

...प्रत्यर्थीगण

निर्णय

1. पत्रावली आदेशार्थ नियत है। पूर्व तिथि को पुनरीक्षणकर्ता तथा प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

2. प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही द्वारा परिवाद संख्या 244/2022 (नीरज दूबे बनाम अनिल बरनवाल) के प्रकरण में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.07.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है।

3. पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से पुनरीक्षणकर्ता का प्रमुख रुप से यह अभिकथन है कि परिवाद संख्या 244/2022 (नीरज दूबे बनाम अनिल बरनवाल) के प्रकरण में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.07.2025 ना केवल तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल है, बल्कि मनमाना एवं विधि विरुद्ध भी है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर प्रश्नगत आदेश को पारित किया गया है। उनके द्वारा समग्रता पूर्वक समस्त तथ्यों पर विचार नहीं किया गया और मनमाने रुप से प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत आदेश के यथावत रहने से न्याय के उद्देश्य विफल होंगे। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पुनरीक्षण याचिका को स्वीकर कर प्रश्नगत आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. वहीं दूसरी ओर प्रत्यर्थी संख्या–2 का यह कथन है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार कोई दोष नहीं है। प्रश्नगत आदेश विधि सम्मत है। जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आवश्यकता है। प्रत्यर्थी द्वारा पुनरीक्षण याचिका को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

5. प्रस्तुत प्रकरण की पृष्ठभूमि संक्षेप में यह है कि पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थी/परिवादी नीरज दूबे द्वारा सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द.प्र.सं. इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि *अभियुक्त अनिल कुमार बरनवाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाबूसराय, थाना औराई, जिला भदोही के प्रबन्धक हैं और उक्त विद्यालय के नाम से एक कमेटी स्थापित की गयी है। अभियुक्त उक्त कमेटी में कई लोगों को बिना उनकी जानकारी के उनके फर्जी हस्ताक्षर से उन्हें कमेटी का सदस्य नामित किया है और उनके नाम का दुरुपयोग करता चला आ रहा है और उनसे अवैध धन अर्जित करता रहा है। उसी क्रम में अभियुक्त ने प्रार्थी को भी बिना प्रार्थी की जानकारी के फर्जी दस्तावेज तैयार करके उस पर फर्जी प्रार्थी का हस्ताक्षर करके प्रार्थी को उक्त कमेटी का सदस्य बनाया है। अभियुक्त ने दिनांक 23.6.2014 को प्रार्थी के बिना जानकारी के 5,100/– रुपया की रसीद जो रसीद संख्या–328 है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमेटी बाबूसराय सं.100 भदोही के नाम से सदस्यता शुल्क को रसीद भी काटा है। जिसकी छाया प्रति साथ में संलग्न की जा रही है। इस प्रकार कूट रचित दस्तावेज तैयार करके अपने को विद्यालय का प्रबन्धक नियुक्त किया है तथा सदस्यता शुल्क की फर्जी रसीद भी कूट रचना के साथ बनाकर अपने पास से पैसा जमा करके संस्था का फर्जी सदस्य बनाया है और उससे अवैध धन अर्जित कर रहा है। सत्यता यह है कि प्रार्थी ना तो कभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमेटी बाबूसराय का वास्तविक सदस्य रहा है, ना ही कोई सदस्यता शुल्क जमा किया है और ना ही कभी किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है। अभियुक्त के जालसाजी की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 08.01.2012 को हुई तो प्रार्थी दिनांक 09.01.2017 को समय करीब 08:00 बजे सुबह अभियुक्त के घर कई लोगों के साथ गया और उससे कहा कि मेरी जानकारी के बगैर फर्जी तौर पर फर्जी हस्ताक्षर करके आपने मुझे अपने विद्यालय की कमेटी का सदस्य क्यों बनाये है तो अभियुक्त ने प्रार्थी को भद्दी भद्दी गालियां दिया और धमकी दिया कि यदि इस प्रकरण को आगे बढ़ाओगे तो तुम्हें जान से मार डालेंगे।*

6. प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) द.प्र.सं. का संज्ञान लेते हुये सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही द्वारा स्थानीय थाने को निर्देशित किया गया कि प्रार्थनापत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करना सुनिश्चित करे।

7. प्रकरण की विवेचना अन्तिम रुप से थाना भदोही के विवेचक श्री सुखराम यादव द्वारा की गयी। उनके द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया कि *मुकदमा उपरोक्त के वादी श्री नीरज दूबे पुत्र कामेश्वर प्रसाद दूबे, निवासी मिल्की थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही के द्वारा माननीय न्यायालय में दिये गये प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) सी.आर.पी.सी. के क्रम में थाना औराई में दिनांक 30.04.2017 को जुर्म धाार–419, 420, 467, 468, 50, 506 भा.द.वि. विरुद्ध अनिल कुमार बरनवाल पुत्र दया प्रसाद बरनवाल निवासी बाबू सराय थाना औराई जनपद भदोही पंजीकृत होकर विवेचना उ.नि. अवधेश कुमार सिंह थाना औराई द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की जा रही थी। उनके स्थानांतरण के पश्चात उ.नि. अजय सिंह, थाना औराई, उ.नि. मिथिलेश कुमार राय थाना औराई, उ.नि. हरिवंश यादव थाना औराई व निरीक्षक श्री मिथिलेश राय द्वारा सम्पादित की गयी। बाद विवेचना अन्तिम रिपोर्ट संख्या–21/2018 दिनांकित 18.03.2018 को प्रेषित की गयी है, जिस पर तत्कालिक क्षेत्राधिकारी औराई श्री रामकरन द्वारा पर्वेक्षण के दौरान त्रुटिपूर्ण विवेचना पाये जाने पर पुनः विवेचना हेतु थाना औराई को वापस किया गया। तत्पश्चात उक्त अभियोग की विवेचना उ.नि. गुरु ज्ञानचन्द पटेल द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की जा रही थी। उनके स्थानांतरण के पश्चात मुझ उ.नि. द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी। विवेचना से निम्न तथ्य प्रकाश में आये हैः–*

1. *यह कि वादी मुकदमा द्वारा माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. में प्रार्थनापत्र देकर माननीय न्यायालय के आदेश पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है।*

2. *विवेचना के दौरान लिये गये बयान से स्पष्ट हुआ है कि वादी मुकदमा कार्यवाही रजिस्टर पर स्वयं हस्ताक्षर बनाया है।*

3. *विवेचना के दौरान प्रबन्ध समिति के सम्मानित सदस्यगण द्वारा शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि नीरज दूबे चुनाव में भाग लिये थे। सभी के सहमति से अनिल कुमार बरनवाल प्रबन्धक चुने गये।*

4. *विवेचना के दौरान विवादित हस्ताक्षर वादी/प्रतिवादी का हस्ताक्षर नमूना प्राप्त कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला रामनगर वाराणसी भेजा गया। परिक्षण आख्या में मिलान नहीं हुआ है। भिन्नता पायी गयी है।*

5. *प्रबन्ध समिति के चुनाव के समय नियुक्त रहे चुनाव अधिकारी/पर्वेक्षक के द्वारा दिये गये लिखित बयान व शपथपत्र से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा स्वयं चुनाव में उपस्थित रहें है और अपना हस्ताक्षर बनाया है।*

6. *यह भी उल्लेखनीय है कि चुनाव पर्वेक्षक रहे श्री राजकुमार श्रीवास्तव*

द्वारा अपने बयान में बताया गया है कि नीरज दूबे उनका शिष्य रहा है। उसे वि.भू. नारायण कॉलेज में पढ़ाया हूँ। अच्छी तरह से जानता पहचानता हूँ। चुनाव में उपस्थित रहें है। अपना हस्ताक्षर बनाये है।

सम्पूर्ण विवेचना संकलित साक्ष्य, अभिलेखी साक्ष्य, संयुक्त अभियोजन अधिकारी से विधिक राय के आधार पर आरोपी अनिल कुमार बरनवाल पुत्र स्व. दया प्रसाद के विरूद्ध अपराध कारित किये जाने का ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तमामि विवेचना, बयान वादी गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रामनगर वाराणसी से प्राप्त परिक्षण आख्या शपथपत्र के आधार पर नामित आरोपी अनिल कुमार बरनवाल उपरोक्त के द्वारा अपराध कारित किये जाने का प्रमाणित साक्ष्य नहीं पाया गया है। साक्ष्य के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।

8. अन्तिम रिपोर्ट पर पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी/प्रार्थी द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया गया है कि प्रोटेस्ट प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173 (8) द.प्र.सं. मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि *वादी के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) द.प्र.सं. पर न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना औराई में अपराध संख्या 165 सन् 2017 धारा–419, 420, 467, 468, 504, 506 भा.द.सं. का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचनाधिकारी द्वारा मामलें में लीपा–पोती करते हुए अभियुक्तगण के दबाव में होकर मुकदमें में अन्तरिम रिपोर्ट संख्या–02 सन् 2020 दिनांक 09.10.2020 न्यायालय में प्रस्तुत की थी। इसके विरूद्ध उसने न्यायालय में प्रोटेस्ट प्रार्थना–पत्र दाखिल किया और न्यायायल द्वारा पुनः विवेचना का आदेश दिया गया, परन्तु पुनः थाना औराई, के विवेचक द्वारा अभियुक्तगण से नाजायज लाभ लेकर पुनः अन्तिम रिपोर्ट संख्या–3 सन् 2022 दिनांक 10.08.2022 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। पुनः विवेचना उप निरीक्षक सुखराम यादव के द्वारा थाने परिसर में ही बैठकर फाईनल रिपोर्ट संख्या 02 दिनांक 09.10.2020 को आधार बनाकर बिना उसका बयान लिये एवं बिना सहायक निबंधक फर्म सोसाइटी एवं चिट्ट वाराणसी में जाकर किसी प्रकार की कोई विवेचना की गयी, जबकि सहायक निबंधक फर्म सोसाइटी एवं चिट्ट वाराणसी द्वारा दिनांक 17.12.2022 को यह स्वीकार किया कि 74 सदस्यों की सूची अभियुक्त द्वारा कूटरचित अभिलेखों के आधार पर तैयार की गयी है, जिस रिपोर्ट को माननीय उच्च न्यायालय ने रिट संख्या 15412 सन् 2023 कमेटी ऑफ मैनेजमेन्ट इण्टरमीडिएट कालेज बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. एण्ड तीन अन्य में स्वीकार करते हुए उपरोक्त 74 सदस्यों की सूची को निरस्त करते हुए 29 सदस्यों की सूची को अपने आदेश दिनांक 28.08.2023 पारित किया गया है, जिसकी छायाप्रति प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है। विवेचनाधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का लापरवाही पूर्वक बैठे बिठाये,*

अभियुक्त से साठ–गांठ व अनुचित धन लाभ लेकर रिपोर्ट उपरोक्त तैयार की गयी है, जो न्यायालय द्वारा कत्तई स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। विवेचनाधिकारी सुखराम यादव को तलब कर फाईन रिपोर्ट के संदर्भ में न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण मांगा जाना न्यायोचित है। न्यायालय उपरोक्त फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार ना कर अभियुक्त को तलब कर कार्यवाही आगे बढ़ाया जाये अथवा उक्त मुकदमें में परिवाद के रुप में स्वीकार कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अभियुक्त को तलब करके दण्डित करने की याचना की गयी है।

9. प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र को स्वीकर करते हुये विद्वान अपर मुख्य न्यायिक, मजिस्ट्रेट द्वारा विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट को निरस्त किया गया तथा प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रकरण को परिवाद के रुप में पंजीकृत किये जाने का निर्देश दिया गया तथा परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि वह द.प्र.सं. की धारा–200/202 के अन्तर्गत साक्षियों को परीक्षित कराये। परिवादी नीरज दूबे द्वारा द.प्र.सं. की धारा–200/202 के अन्तर्गत स्वयं के अतिरिक्त पवन कुमार शीतला प्रसाद तिवारी एवं अरुण कुमार शुक्ला को परीक्षित कराया गया।

10. जांचोपरांत विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.07.2025 के माध्यम से परिवाद को द.प्र.सं. की धारा 203 के अन्तर्गत निरस्त किया गया। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिये अनिल कुमार बरनवाल को विचारण हेतु आहुत नहीं किया जा सकता। इसी आदेश से क्षुब्ध होते हुये यह पुनरीक्षण याचिका योजित की गयी है।

11. पुनरीक्षणकर्ता का प्रमुख रुप से यह अभिकथन है कि प्रत्यर्थी संख्या–2 अनिल कुमार बरनवाल द्वारा छल–कपट एवं कूट रचना से सम्बन्धित गंभीर अपराध कारित किया गया है। परन्तु विद्वान अपर मुख्य न्यायिक, मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को विचारण हेतु आहुत ना करके गंभीर त्रुटि कारित की गयी है।

12. **आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को विचारण हेतु आहुत किया जाना एक अत्यन्त गंभीर प्रश्न है। किसी व्यक्ति को विचारण हेतु केवल इस आधार पर आहुत नहीं किया जा सकता कि परिवादी द्वारा स्वयं के अतिरिक्त अपने कथन के समर्थन में दो साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। दो साक्षियों को परीक्षित कराना न्यायिक प्रक्रिया की औपचारिकता मात्र नहीं है। परिवादी को प्रथम दृष्टया यह स्थापित करना होता है कि अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किया गया है।**

13. प्रस्तुत मामले में पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी/प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) द.प्र.सं. के आधार पर ना केवल स्थानीय थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया, बल्कि विवेचक द्वारा विवेचना भी की गयी। विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये यह अभिमत प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या–2/अभियुक्त अनिल कुमार बरनवाल द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के चुनाव में पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी/प्रार्थी द्वारा स्वयं हिस्सा लिया गया था और उनके द्वारा स्वयं कार्यवाही रजिस्टर पर हस्ताक्षर बनाये गये थे। प्रबन्ध समिति के चुनाव के समय नियुक्त रहे चुनाव अधिकारी/पर्वेक्षक द्वारा दिये गये शपथपत्र में भी इस तथ्य का स्पष्ट रुप से उल्लेख है कि नीरज दूबे व्यक्तिगत रुप से प्रबन्ध समिति के चुनाव में शामिल हुये थे। चुनाव पर्वेक्षक श्री राजकुमार श्रीवास्तव ने स्पष्ट रुप से विवेचक के समक्ष यह बयान दिया था कि नीरज दूबे उनका शिष्य रहा है। उन्होंने नीरज दूबे को पढ़ाया है। वह चुनाव में उपस्थित था और सम्बन्धित रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे।

14. पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी/प्रार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–2/अभियुक्त पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा उसके स्थान पर हस्ताक्षर कर कूटरचना की गयी है। इस सम्बन्ध में विवेचक द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रामनगर वाराणसी के माध्यम से हस्ताक्षरों की पहचान करायी गयी, जिसमें स्पष्ट रुप परीलक्षित हुआ है कि हस्ताक्षरों में स्पष्ट रुप से भिन्नता है। इसी प्रकार सम्बन्धित पंजाब नेशनल बैंक, महाराजगंज, थाना औराई, भदोही के शाखा प्रबन्धक द्वारा भी इस आशय का बयान दिया गया है कि ड्राफ्ट बनवाने हेतु वाऊचर डॉ. नीरज दूबे द्वारा दिया गया था। वाऊचर की छायाप्रति विवेचक को प्राप्त करायी गयी।

15. पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी/प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष द.प्र.सं. की धारा–200/202 के अन्तर्गत स्वयं के अतिरिक्त पी.डब्लू.–1 के रुप में पवन कुमार शीतला प्रसाद तिवारी एवं पी.डब्लू.–2 के रुप में अरुण कुमार शुक्ला को परीक्षित कराया है। परन्तु इन समस्त साक्षियों के परिसाक्ष्य से ऐसा कोई विशिष्ट तथ्य प्रकट नहीं हुआ है। जिससे विवेचक द्वारा संकलित किये गये तथ्यों को निरस्त किया जा सके। जैसा कि पूर्व में इस तथ्य का उल्लेख किया जा चुका है कि केवल दो साक्षियों के परीक्षित करा देने मात्र से किसी भी व्यक्ति को विचारण हेतु आहुत नहीं किया जा सकता है। परिवादी को प्राथमिक तौर पर यह स्थापित करना होगा कि अभियुक्त द्वारा आपराधिक कृत्य किया गया है। ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि परिवादी की मंशा किसी भी दृष्टि से प्रत्यर्थी संख्या–2 अनिल कुमार बरनवाल को विचारण हेतु आहुत किये जाने की है। सम्बन्धित अपर मुख्य न्यायिक, मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवादी एवं उसके साक्षियों द्वारा कोई ऐसा नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह

माना जा सके कि प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा किसी भी प्रकार से कोई छल–कपट अथवा कूटरचना की गयी है। विवेचक द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में ना केवल अनेकोनेक साक्षियों के बयान लिये गये जिसमें विद्यालय के प्रबन्ध समिति चुनाव के चुनाव अधिकारी/पर्वेक्षक श्री राजकुमार श्रीवास्तव भी शामिल है। उन्होंने बताया कि चुनाव के समय नीरज दूबे उपस्थित थे। इसी प्रकार विवेचक द्वारा चुनाव के समय खींचे गये फोटो को भी पत्रावली में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें पुनरीक्षणकर्ता की उपस्थिति स्पष्ट रुप से प्रदर्शित हो रही है। विवेचक द्वारा संकलित किये गये तथ्यों का परिवादी द्वारा किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया है और ना ही ऐसा कोई नवीन तथ्य प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.07.2025 में हस्ताक्षेप किया जाये। तदनुसार पुनरीक्षण याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

16. पुनरीक्षण याचिका संख्या–109/2025 निरस्त की जाती है। परिवाद संख्या–244/2022 में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.07.2025 की पुष्टि की जाती है।

17. पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 02.06.2026

(दुर्गेश)
ID:UP 1626
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
भदोही–ज्ञानपुर।

18. उपरोक्त निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः– 02.06.2026

(दुर्गेश)
ID:UP 1626
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
भदोही–ज्ञानपुर।

Digitally signed by DURGESH
Date: 2026.07.01 16:44:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court